

मुख्यमंत्री की दौड़ में देवेन्द्र फड़नवीस बहुत पीछे रह गये!

मोदी व शाह, दोनों फड़नवीस को मु.मंत्री बनाने के पक्ष में नहीं

—रेणु मिश्रल—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 3 दिसम्बर महाराष्ट्र सरकार की गुल्थी लगातार गुल्थी बनी हुई है।

अब यह बात स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आ गई है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में देवेन्द्र फड़नवीस काफी पीछे रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री अमित शाह दोनों ही फड़नवीस के पक्ष में नहीं हैं।

सूत्रों का कहना है कि आर.एस.एस., जो फड़नवीस का समर्थन कर रहा था, कुछ समय से मौन है, क्योंकि वह अभी मोदी और शाह से टकराव नहीं चाहता है।

पता चला है कि शपथ ग्रहण निर्धारित समय पर ही होगा, हालांकि शिवसेना के नेता व निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीमार हैं और अस्पताल में हैं।

नया मुख्यमंत्री भाजपा का मराठा नेता होगा और अमित शाह अपनी पसंद

■ आर.एस.एस., जो अब तक फड़नवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में सबसे ज्यादा सक्रिय थी, अब कुछ शान्त सी हो गई है, क्योंकि संघ अभी मोदी शाह द्रव्य से खुली अदावत करने के पक्ष में नहीं लगता।

■ अब प्रबल सम्भावना है, कि, महाराष्ट्र का नया मु.मंत्री भाजपा का कोई मराठा नेता होगा। तथा शाह उसके नाम पर मतैक्यता बनाने में जुटे हैं।

■ वैसे अमित शाह की पसन्द तावड़े हैं, जो चर्चाओं के अनुसार, मतदान से पूर्व बहुत सारे 'कैश' के साथ पकड़े गये थे।

■ अतः सम्भावना है कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही, समय पर घोषणा हो जायेगी। हालांकि, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तबियत खराब होने की वजह से अस्पताल में हैं। जिज्ञासा केवल इतनी सी है, एकनाथ शिंदे की क्या राय रहती है, वे अंततोगत्वा, उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लेंगे, या केन्द्र सरकार में शामिल होने के लिए दिल्ली जायेंगे, या राजनीति से "सन्ध्यास" ले लेंगे।

के प्रत्याशी के लिए आम सहमति बनाने में रात दिन एक कर रहे हैं।

अभी तक किसी नाम का उल्लेख नहीं हुआ है, पर यह स्पष्ट है कि नाम की घोषणा में देरी इसीलिए की जा रही है, क्योंकि वे फड़नवीस को इस दौड़ से ही

हटा देना चाहते हैं और अपनी पसंद के प्रत्याशी पर आम सहमति बनाना चाहते हैं।

अमित शाह के प्रमुख प्रत्याशी हैं, तावड़े, जो बहुत सारी नकद राशि के साथ पकड़े गए थे।

सूत्रों का कहना है कि अमित शाह

तावड़े को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं।

एक प्रमुख प्रश्न यह है कि अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? क्या वे उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे या फिर केन्द्र में मंत्री बनेंगे या एकान्तवास में चले जाएंगे।

अपराध साबित नहीं हुआ: मालपुरा दंगे के 5 आरोपी बरी

जयपुर, 3 दिसंबर। सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने 24 साल पहले टोंक जिले के मालपुरा में सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई हत्या के मामले में पांच आरोपियों अब्दुल वहाब, मोहम्मद हसीब, आसिफ, फिरोज अहमद और उमर को बरी कर दिया है। पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर हत्या का आरोप साबित नहीं कर सका है। ऐसे में आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 10 जुलाई,

पीठासीन अधिकारी ने कहा, अभियोजन पक्ष आरोपियों पर हत्या का आरोप सिद्ध नहीं कर पाया।

2000 को मालपुरा में दो संप्रदायों के बीच दंगा हुआ था। इस दौरान, चुंगी नाके के पास कैलाश माली की हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर मृतक के बेटे मनोज ने दो दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसे जांच के लिए बाद में सी.आई.डी. सी.बी. को भेजा गया था। सी.आई.डी. सी.बी. ने मामले में जांच कर 9 अक्टूबर, 2000 को अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शोकात आलम व अन्य ने बताया कि मृतक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

समय पहले तक, ग्रेट ब्रिटेन के अमेरिका के साथ तथाकथित "विशेष संबंध" थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तथा युद्ध के बाद यूरोप भर में हो

रहे पुनर्निर्माण के समय शान के साथ दर्शाए गए थे।

अब, फ्रांस यूरोप में अमेरिका के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फ्रांस, अब यूरोप में ब्रिटेन का स्थान लेने की पूरी कोशिश में

यह स्थान अब तक, ब्रिटेन के लिए आरक्षित था

—अंजन राय—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 3 दिसम्बर। विक्टर ब्यूरो की कहानी "हंचबैक ऑफ नॉट्र डाम" फ्रांस का प्रतीक थी। जिसका मुख्य किरदार हंचबैक गिरिजाधर की बड़ी-बड़ी घंटियों पर झूलता है, ताकि घंटियों की आवाज़ "रोशनी के शहर" पेरिस में पहुँच सके।

अब, एक विनाशकारी आग से लगभग नष्ट हो जाने के पांच साल बाद नॉट्र डाम के पुनर्निर्माण गिरिजाधर का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन 4 दिसम्बर को करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुनःस्थापित इस शानदार गिरिजाधर को यूरोपीय कूटनीति के केन्द्र में रखने का फैसला किया है।

मैक्रॉन ने इस कार्यक्रम को, हाल के समय की सबसे बड़ी कूटनीतिक क्रांति का रूप दिया है। उन्होंने अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प को चर्च के शानदार पुनः उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया है। ट्रम्प, जिन्हें जीवन में किसी भी अवसर पर से ज्यादा चापलूसी और चमकदार रोशनी पसंद है, नॉट्र डाम के भव्य पुनः उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने को लेकर अति प्रसन्न हैं। यह अटलांटिक पार के देशों के बदलते संबंधों और पश्चिमी देशों के गठबंधन के महत्व को दर्शाता है। कुछ

■ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने पेरिस के इतिहासिक चर्च नॉट्रडैम, जो पांच साल पहले आग में जल कर लगभग पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया था, का पुनर्निर्माण (रेस्टोरेशन) करके, एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया है, और समारोह में राष्ट्रपति ट्रम्प को मुख्य अतिथि बनाया गया है।

■ इस समय जर्मनी की लम्बे समय तक चांसलर रहें, एंजिला मर्केल, विवादित व्यक्ति हो गई हैं। जर्मनी के सभी न्यूक्लियर बिजली घर बन्द करके, देश को रूस से आने वाली सस्ती नैचुरल गैस पर निर्भर बनाने से तथा जर्मनी में बहुत भारी संख्या में सीरिया के लोगों को नागरिकता प्रदान करके, देश में एक बड़ा हंगामा खड़ा करने के कारण।

■ अतः फ्रांस के लिए बहुत सही समय है यूरोप में अमेरिका का "बैस्ट फ्रेंड" बनने के लिए।

■ ट्रम्प भी फ्रांस की इस कोशिश से नाखुश नहीं हैं। इसका इज़हार ट्रम्प ने फ्रांस में अपने नजदीकी रिश्तेदार को अमेरिका का राजदूत बनाकर भेजकर किया।

■ फ्रांस की, अमेरिका के नजदीक आने की मुहिम सफल होती नजर आ रही है।

समय पहले तक, ग्रेट ब्रिटेन के अमेरिका के साथ तथाकथित "विशेष संबंध" थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तथा युद्ध के बाद यूरोप भर में हो

रहे पुनर्निर्माण के समय शान के साथ दर्शाए गए थे।

अब, फ्रांस यूरोप में अमेरिका के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह भव्य बनाने की तैयारी

मुंबई, 03 दिसंबर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। यहां महायुति की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। महायुति की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद पार्क में 5 दिसंबर को होने जा

■ प्रधानमंत्री, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा, गडकरी सहित सत्तर वी.आई.पी. समारोह में आयेंगे।

रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कुल 70 से ज्यादा वी.वी.आई.पी. नेता शामिल होंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजगर्गा एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित कैबिनेट के कई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 3 दिसम्बर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प को ग्लोबल रिजर्व करैसी के रूप में डॉलर्स पर निर्भरता कम करने के प्रयासों की आलोचना को भारत से समर्थन मिला है। डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश अर्थात् "डी-डॉलरराइजेशन" का सबसे मुख्य एवं मुखर समर्थक रूस है। रूस का मत है कि पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाली वित्तीय व्यवस्था को बाधपास करने का यही तरीका है।

ऑक्टोबर रिसर्च पाउण्डेशन (ओ.आर.एफ.) में स्टडीज़ एण्ड फॉरिन पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट हर्ष वी. पंत के अनुसार, ब्रिक्स देशों की कॉमन करैसी पर रूस का समर्थन पश्चिमी देशों के प्रभाव से खुद को दूर करने का प्रयास है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने

अमेरिका "ब्रिक्स देशों" की, आपसी व अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर का उपयोग न करने की चेष्टा से काफी क्षुब्ध है

■ भारत, अमेरिका की इस नाराज़गी का समर्थन कर रहा है। क्योंकि भारत के अमेरिका से काफी सुविधाजनक व फायदे मंद सम्बंध हैं, और वह "डॉलर विहीन" अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष में है।

■ "ब्रिक्स देशों" के समूह में रूस व चीन, डॉलर के बजाय किसी अन्य मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रबल समर्थक हैं। क्योंकि, अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, रूस की अमेरिकी बैंक में मुद्रा आदि को फ्रीज कर दिया था, जिससे रूस को काफी दिक्कत आई थी, अपना तेल (ऑयल) अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचने में।

■ भारत का रुख है, व्यापार को राजनीतिक झगड़ों का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। व्यापार, आपसी सहूलियत पर आधारित होना चाहिए। और भारत डॉलर विरोधी मुहिम में शामिल नहीं है।

अक्टूबर की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत का रुख स्पष्ट कर दिया था कि

भारत डॉलर को निशाना बनाने या डॉलर पर निर्भरता कम करने की रणनीति का

समर्थन नहीं करता है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिन देशों के पास डॉलर का

भर्ती के एक साल बाद पी.टी.आई. की जाँच क्यों-हाईकोर्ट

जयपुर, 3 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पी.टी.आई. भर्ती-2022 में नियुक्ति के बाद एक साल से ज्यादा समय से नौकरी करने के बाद, भर्ती एजेंसी की ओर से एस.ओ.जी. के जरिए जांच कराने के मामले में शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी व सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश ममता जाट की याचिका पर दिए।

■ अदालत ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी व सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सेनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पी.टी.आई. भर्ती-2022 के लिए 16 जून को भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसके तहत ही बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया पूरी की। वहीं, इसमें दो बार जांच करने के बाद याचिकाकर्ता को पी.टी.आई. के पद पर नियुक्ति दी गई। इसके बाद चयन बोर्ड ने एस.ओ.जी. से अभ्यर्थियों की डिग्री की जांच कराई, जिसमें एस.ओ.जी. ने माना कि याचिकाकर्ता की ओर से ओ.पी.जी.एस. यूनिवर्सिटी से प्राप्त की गई डिग्री नियमानुसार सही नहीं है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अन्ततोगत्वा संसद पटरी पर लौटी

कांग्रेस की पहल पर सत्तापक्ष और विपक्ष का गतिरोध समाप्त हुआ

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 3 दिसम्बर। सरकार और विपक्ष के बीच एक सप्ताह के लम्बे चले गतिरोध के बाद मंगलवार को संसद फिर पटरी पर आ गई। इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस की पहल पर लोकसभा स्पीकर ओम बिडला की अध्यक्षता में दोनों पक्षों के सदस्यों की मीटिंग हुई और लोकसभा व राज्य सभा में दो-दो दिन संविधान पर चर्चा के लिए सहमति बनी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य सभा के सभापति तथा राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख कर कहा कि भारतीय संविधान की 75 वीं वर्षगांठ पर दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा कराई जाए। हालांकि 26 नवम्बर को पुरानी संसद के केन्द्रीय कक्ष में संसद की संयुक्त बैठक में चर्चा हो चुकी है।

विपक्ष ने लोकसभा से तब बहिर्गमन किया, जब विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने बैठक की शुरूआत में भारत व चीन के बीच हुई संधि का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के संबंध सुधरे हैं। उन्होंने बताया कि चीन ने कई जगहों पर भारी सेना तैनात कर दी थी। उन्होंने चीन को माकूल

■ लोकसभा में अवश्य उस समय विपक्ष ने वॉक आउट किया, जब विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत और चीन के बीच हुई संधि के बारे में बताना शुरू किया।

■ सपा चीफ अखिलेश यादव ने लोकसभा में और उनके चाचा रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में सभल हिंसा का मुद्दा उठाया और यू.पी. सरकार पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया।

■ तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय तथा कांग्रेस सांसद, के. सुरेश ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा पर चिंता जताई।

■ संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवम्बर को शुरू हुआ था और 20 दिसम्बर तक चलेगा।

जवाब देने के लिए भारतीय सेना की तारीफ की।

सपा नेता अखिलेश यादव ने लोकसभा में सम्भल हिंसा का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि यू.पी. सरकार ने हिंसा करवाई है। राज्य सभा में यही मुद्दा अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव ने उठाया।

अखिलेश ने कहा, "जो घटना सम्भल में घटी, वह एक सुनिश्चित घडयान है तथा भाईचारे की हत्या कर दी गई है। चर्चा है कि भाजपा और उसके

मित्र दलों द्वारा पूरे देश में खुदाई करवाई जाएगी, यह देश के भाईचारे को नष्ट कर देगी"। रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के इस नगर में पुलिस की तैनाती तथा पुलिस द्वारा पाँच लोगों को मार डालने तथा 20 लोगों को घायल कर देने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पकड़े गये थे, उन्हें बुरी तरह पीटा गया।

संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवम्बर को शुरू हुआ था तथा 20 दिसम्बर तक चलेगा। कांग्रेस सांसद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों को 22 साल बाद आवंटित होंगे मकान

अन्ततोगत्वा हाउसिंग बोर्ड के तीन कर्मचारियों को हाईकोर्ट से इंसफ मिले

—यादवेंद्र शर्मा—

जयपुर, 3 दिसम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आवासन बोर्ड की अपील को खारिज करते हुए आदेश दिये हैं कि उसके कर्मचारियों के लिये 2002 में लाई गई स्पेशल स्कीम के तहत तीन याचिकाकर्ता धर्मेन्द्र, लुणकरण और संजय चौबंसा को स्कीम अनुसार प्रतापनगर में "प्लिंथ" स्तर के आवासों का आवंटन करें क्योंकि याचिकाकर्ता कर्मचारी ने उपयुक्त समय पर पंजीयन के लिये राशि जमा करा दी थी। मुख्य न्यायाधीश एम.एम.श्रीवास्तव और न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने इसी मामले में एकलपीठ द्वारा दिये गये आदेश में केवल इतना सा संशोधन किया है कि हाऊसिंग बोर्ड को 6 नवम्बर 2015 को लागू "रेट" के अनुसार मूल राशि (सीड मनी) मान्य होगी, एकलपीठ ने 2007 को हाऊसिंग बोर्ड को आवंटन करने के आदेश दिये थे। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधांशु जोशी और

■ हाउसिंग बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए 2002 में यह स्कीम निकाली थी, जिसमें इन तीन कर्मचारियों ने पंजीयन राशि जमा करवाई थी और हाउसिंग बोर्ड ने भी 2006 में प्रस्ताव पारित किया था कि पंजीयन राशि जमा कराने वालों को मकान आवंटित होगा, पर इन तीन कर्मचारियों को मकान आवंटन नहीं किया गया।

■ इस मामले में हाउसिंग बोर्ड कई वर्ष तक इसलिये कोई आवंटन नहीं कर सका क्योंकि बोर्ड के अधिकारी इस स्कीम में उन कर्मचारियों को भी मकान आवंटन करने लगे थे जो प्रतिनियुक्ति पर हाऊसिंग बोर्ड में आये थे और बोर्ड में स्थाई नहीं हुए थे। इस पर 2007 में कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था।

■ हाउसिंग बोर्ड के वकील ने हाईकोर्ट में यह तर्क दिया कि उपरोक्त वर्गित विवाद के लंबित रहने के दौरान बोर्ड ने यह प्रस्ताव पास कर दिया था, कि प्लिंथ स्तर के मकानों का भविष्य में आवंटन नहीं करेगा। वकील का कहना था कि इस कारणवश बोर्ड ने इन तीन कर्मचारियों को आवंटन नहीं किया है। दूसरी ओर इन कर्मचारियों ने आवंटन के लिये मूल राशि जमा नहीं कराई थी। हाईकोर्ट ने इन दोनों तर्कों को खारिज कर दिया है।

पी.पी.माथुर पैरवी के लिये पेश हुए।

जिन्हें अदालत को बताया कि यह स्कीम 2002 में लाई गई थी, और उनके मुचक्कल ने 2006 तक पंजीयन शुल्क पूरा दे दिया था। दूसरी ओर

हाऊसिंग बोर्ड के वकील की ओर से कहा गया कि इन तीन कर्मचारियों ने लंबे समय तक आवास के आवंटन के लिये मूल राशि जमा नहीं कराई थी।

इस पर सुधांशु जोशी ने अदालत को बताया कि इस मामले में सीड मनी

2014 तक इसलिये अदा नहीं किया जा सका क्योंकि 50 घरों को यह स्कीम 2007 में हाईकोर्ट में एक विवाद में उलझी रही जिसका निस्तारण वर्ष 2015 में हुआ। उन्होंने अदालत को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कार्यस्थल व सार्वजनिक जगहों पर महिला टॉयलेट की व्यवस्था हो'

जयपुर, 3 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्यस्थल और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए टॉयलेट की कमी और मौजूदा टॉयलेट की खराब हालतों पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। अदालत ने इन अधिकारियों से इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी भी पेश करने को कहा है। अदालत ने अधिवक्ता सुप्रिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा।

विभिन्न बिंदुओं पर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश इस संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। अदालत ने इन अधिकारियों से इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी भी पेश करने को कहा है। अदालत ने अधिवक्ता सुप्रिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)